न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)

वाद(प्रार्थनापत्र) संख्या – 111/2015

प्रविष्टि दिनांक – 07.07.2015

उनवान

लड्डूलाल पुत्र गोपाल जाति माली निवासी वीखापुरा, टोंक तहसील व जिला टोंक

–आवेदक/वादी

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार जिन्दल पुत्र राधेश्याम जाति महाजन निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र छीतरलाल जाति माली निवासी वीखापुरा, टोंक तहसील व जिला टोंक
3. रमेश पुत्र गोपाल जाति माली निवासी वीखापुरा, टोंक तहसील व जिला टोंक
4. संतरा पुत्री गोपाल जाति माली निवासी वीखापुरा, टोंक तहसील व जिला टोंक
5. कमला पुत्री गोपाल जाति माली निवासी वीखापुरा, टोंक तहसील व जिला टोंक
6. कैलाशी पुत्री गोपाल जाति माली निवासी वीखापुरा, टोंक तहसील व जिला टोंक
7. मनभर पुत्री गोपाल जाति माली निवासी वीखापुरा, टोंक तहसील व जिला टोंक
8. रंगी देवी पत्नि गोपाल जाति माली निवासी वीखापुरा, टोंक तहसील व जिला टोंक
9. पीरी पुत्री छीतर जाति माली निवासी वीखापुरा, टोंक तहसील व जिला टोंक
10. मन्ना पुत्री छीतर जाति माली निवासी वीखापुरा, टोंक तहसील व जिला टोंक
11. धन्नी पुत्री छीतर जाति माली निवासी वीखापुरा, टोंक तहसील व जिला टोंक

विपक्षीगण

उपस्थित– श्री राजेन्द्र कुमार जाट– वकील वादीगण

निर्णय

वाद बावत– स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा–92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

दिनांक :30/12/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 1530, 1531 वाके ग्राम कस्बा गर्वी टोंक, तहसील व जिला टोंक (राज0) में स्थित है। जिसमें मुताबिक रिकार्ड वादी इसके हिस्से के तन्हा मालिक एंव स्वामी खातेदार काबिज काश्तकार है। वहामी बंटवारे में हक व हिस्से में आई हुयी है जिसे वादी मौके पर बहैसियत मालिक स्वामी काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से दूर का भी कोई संबंध नहीं है। किन्तु प्रतिवादीगण लडाकू व झगडालू प्रवृति के लोग है। प्रतिवादीगण वादी की उक्त आराजीयात जबरन लट्ठ के बल पर वादी की उक्त आराजी में लगायी गयी डोल को तोडकर जबरन प्रवेश करना चाहते है तथा पुख्ता निर्माण करना चाहते है तथा भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन करना चाहते है तथा भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन करना चाहते है। जिसका उन्हे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है। वादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को सावित करने के लिये दस्तावेजात–जमाबन्दी, नक्शाट्रेस आदि पेश किये।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण को तलब किया। प्रतिपक्षीगण ने जरिये वकील न्यायालय में अन्डरटेकिंग देकर भी अपना पक्ष नहीं रखा। लगभग चार वर्ष के उपरान्त भी अपना पक्ष नहीं रखने के बाद न्यायहीत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। तत्पश्चात वादी ने अपने पक्ष साक्ष्य स्वरूप स्वंय का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड वादी अपने हक व हिस्से का एक मात्र स्वामी एंव काबिज काश्तकार है जिसके हितों की रक्षा आवश्यक है। प्रतिपक्षीगण को उसमें दखल देने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। वादी के हक व हिस्से तक वादी का वाद स्वीकार योग्य है तथा भविष्य में अनावश्यक विवाद नहीं होवे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा हमेशा हमेशा के लिए पावन्द किया जाना आवश्यक है।

आदेश

अतः वादी का वाद बावत स्थायी निषेधाज्ञा वादी के हक व हिस्से तक स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा हमेशा–हमेशा के लिए पावन्द किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1530, 1531 वाके ग्राम टोंक गर्वी, तहसील टोंक में वादी के हक व हिस्से की भूमि में किसी भी प्रकार से मजाहमत मदाखलत नहीं करें ओर ना ही करावें। उक्त भूमि के किसी भी भू–भाग पर किसी प्रकार का पुख्ता निर्माण नहीं करें ओर डोल को नहीं तोडें तथा वादी को उसके हक की भूमि से बेदखल नहीं करें ओर ना ही करावें। हमेशा हमेशा के लिए पावन्द रहें।

यह निर्णय आज **दिनांक** 30/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नित्या के0)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, टोंक मुकाम टोंक व अलजाम नित्या के0, आई.ए.एस. द्वारा अध्याशित

उनवान

लड्डूलाल पुत्र गोपाल जाति माली निवासी बीखापुरा, टोंक तहसील व जिला टोंक

—आवेदक/वादी

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार जिन्दल पुत्र राधेश्याम जाति महाजन निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र छीतरलाल जाति माली निवासी बीखापुरा, टोंक तहसील व जिला टोंक
3. रमेश पुत्र गोपाल जाति माली निवासी बीखापुरा, टोंक तहसील व जिला टोंक
4. संतरा पुत्री गोपाल जाति माली निवासी बीखापुरा, टोंक तहसील व जिला टोंक
5. कमला पुत्री गोपाल जाति माली निवासी बीखापुरा, टोंक तहसील व जिला टोंक
6. कैलाशी पुत्री गोपाल जाति माली निवासी बीखापुरा, टोंक तहसील व जिला टोंक
7. मनभर पुत्री गोपाल जाति माली निवासी बीखापुरा, टोंक तहसील व जिला टोंक
8. रंगी देवी पत्नि गोपाल जाति माली निवासी बीखापुरा, टोंक तहसील व जिला टोंक
9. पीरी पुत्री छीतर जाति माली निवासी बीखापुरा, टोंक तहसील व जिला टोंक
10. मन्ना पुत्री छीतर जाति माली निवासी बीखापुरा, टोंक तहसील व जिला टोंक
11. धन्नी पुत्री छीतर जाति माली निवासी बीखापुरा, टोंक तहसील व जिला टोंक

विपक्षीगण

उपस्थित— श्री राजेन्द्र कुमार जाट— वकील वादीगण

निर्णय

वाद बाबत— स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा—92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

दावा नं0 111/2015

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि

अतः वादी का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा वादी के हक व हिस्से तक स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा हमेशा—हमेशा के लिए पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1530, 1531 वाके ग्राम टोंक गर्बी, तहसील टोंक में वादी के हक व हिस्से की भूमि में किसी भी प्रकार से मजाहमत मदाखलत नहीं करें ओर ना ही करावें। उक्त भूमि के किसी भी भू—भाग पर किसी प्रकार का पुख्ता निर्माण नहीं करें ओर डोल को नहीं तोडें तथा वादी को उसके हक की भूमि से बेदखल नहीं करें ओर ना ही करावें। हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द रहें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 30/12/2020 को जारी किया गया।

मोहर

(नित्या के0)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					
मीशान			मिजान		

नोटः—इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।